



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने व धमकी देने वाले 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-295A/2008 धारा- 323,324,504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.गोविन्द नारायन दीक्षित पुत्र दुर्गा प्रसाद दीक्षित 2.विजय शंकर दीक्षित पुत्र दुर्गा प्रसाद दीक्षित निवासीगण ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को 02-02 वर्ष के कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री अशोक  
कुमार शुक्ला



विवेचक-  
उ0नि0 जगत पाल  
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा  
का0 शुभम